

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 11/2015 अ०मु०दी०

संस्थित दिनांक 11.09.2015

मंदिर रामजानकी बांके मौजा पाली डिरमन
परगना गोहद, द्वारा पुजारी रामअवतार शर्मा पुत्र
हरनारायण शर्मा निवासी ग्राम पाली डिरमन,
तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

----- अपीलान्त/वादी

बनाम

म०प्र० शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय
जिला भिण्ड म०प्र०।

-----रिस्पोंडेंट/ प्रतिवादी

अपीलार्थी/वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी शासन द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर।

//आ दे श//

//आज दिनांक 28-11-2015 को पारित किया गया //

01. अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश सिविल अपील का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है जिसमें अपीलार्थी ने अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद पीठासीन अधिकारी सु०श्री प्रतिष्ठा अवस्थी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 101ए/2015 ई.दी. मंदिर श्री रामजानकी वि० म०प्र० शासन में पारित आदेश दिनांक 14.08.2015 से व्यथित होकर वर्तमान अपील पेश की गई है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी०पी०सी० निरस्त किया गया है।
02. अपीलार्थी को आगे के पदों में वादी/आवेदक तथा प्रतिअपीलार्थी को प्रतिवादी/अनावेदक के रूप में संबोधित किया जाएगा।
03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक/वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि भूमि खसरा क्रमांक 850 रकवा 0.07, खसरा क्र. 852 रकवा 0.21, खसरा क्र. 853 रकवा 0.14, खसरा क्र. 854 रकवा 0.59, खसरा क्र. 2634 रकवा 0.35, खसरा क्र.

2652 रकवा 0.10, खसरा क. 2650 रकवा 0.75, खसरा क. 2653 रकवा 0.92, खसरा क. 2654 रकवा 1.39, खसरा क. 2667 रकवा 0.62 कुल किता 10 कुल रकवा 5.21 जो कि बांके मौजा पाली डिरमन एवं भूमि खसरा क्रमांक 240 रकवा 0.63 बांके मौजा कलियान पुरा परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित है। इस भूमि का बंदोबस्त हो गया है। बन्दोबस्त के पूर्व खसरा क्रमांक 1174 रकवा 0.39, खसरा क. 1175 रकवा 0.125, खसरा क. 1176/1 रकवा 0.084, खसरा क. 1176/2 रकवा 0.052, खसरा क. 1180 रकवा 0.157, खसरा क. 1181 रकवा 0.136, खसरा क. 1182 रकवा 0.031, खसरा क. 1183 रकवा 0.167, खसरा क. 1184 रकवा 0.199, खसरा क. 1436 रकवा 0.094, खसरा क. 2482 रकवा 0.355, खसरा क. 2492 रकवा 0.178, खसरा क. 2493 रकवा 0.752, खसरा क. 2494 रकवा 0.920, खसरा क. 2502, 2503, 2504 शामिल रकवा 1.390, खसरा क. 2519 रकवा 0.543 कुल किता 16 रकवा 5.214 हे0 जो कि ग्राम डिरमन पाली तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित है। वादग्रस्त भूमि मंदिर की सेवा पूजा एवं व्यवस्था में जमींदारी काल में लगाई गई थी और वादी के पूर्वज उनके बाबा और पिता पुजारी रहे और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वादी उक्त मंदिर की पूजा अर्चना करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर पुजारी की हैसियत से वादी के पिता का नाम अंकित था और अब वादी का नाम अंकित है। उस पर भूमिस्वामी की हैसियत से पुजारी के रूप में उनका कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी ने वादी को बिना सूचना दिए अवैधानिक रूप से उक्त मंदिर से उसका नाम पुजारी के रूप में निरस्त कर दिया है। इस बात की जानकारी वादी को पटवारी मौजा से खाता की नकल लेने पर दिनांक 05.11.12 को हुई जिससे वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य को खतरा हो गया है जबकि वादी के पूर्वजों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा है तथा वादी का नाम भी अंकित है। वादी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर अधिकार एवं आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादी के द्वारा उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टिया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति के तत्व आवेदक/वादी के पक्ष में है।

04. प्रतिवादी/अनावेदक के द्वारा अपने जबाब में व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि शासन के स्वत्व व आधिपत्य की है वादी का उस पर कोई संबंध नहीं है। वादी वादग्रस्त भूमि को नहीं जोत रहा है और न ही वादी को शासन के द्वारा पुजारी नियुक्त किया गया है। वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शासन के नाम दर्ज थी एवं वर्तमान में भी दर्ज है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टिया कोई प्रकरण, सुविधा का संतुलन अथवा अपूर्तिनीय क्षति के तत्व नहीं है। आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

05. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा बावत् आवेदनपत्र के संबंध में वादी/आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाया गया है और सुविधा का संतुलन व आपूर्तनीय क्षति के तत्व वादी के पक्ष में न पाते हुए आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

06. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति में आवेदक/वादी का स्वत्व व आधिपत्य होने के उपरान्त भी जो कि राजस्व अभिलेखों से बिना उसको सूचित किए निरस्त कर दिया गया था। वादी के पक्ष में कि प्रथम दृष्टया प्रकरण होना नहीं माना है, जबकि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है और विवादित भूमि हमेशा की कृषि भूमि है उस पर हमेशा वादी/अपीलार्थी का ही कब्जा रहा है और उस भूमि की आयसे मंदिर की सेवा पूजा होती है। सुविधा का संतुलन एवं आपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी वादी/आवेदक के पक्ष में है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2015 को अपास्त करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है।

07. प्रतिअपीलार्थी/ प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित रूप से होना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप किए जाने एवं फेर-बदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

08. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है—

क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.08.2015 पारित करने में वैधानिक भूल की गई है, वैधानिक भूल किए जाने के कारण आदेश अपास्त कर अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है?

// सकारण निष्कर्ष //

09. अपीलार्थी/वादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि वादग्रस्त भूमियाँ रामजानकी मंदिर जो कि ग्राम डिरमन पाली तहसील गोहद में स्थित है। उक्त मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु जमींदारी काल से उनके पूर्वजों के द्वारा जमीन लिखाई गई थी और पूर्वजों के समय से ही उनके द्वारा उसमें पूजा की जाती है और पुजारी की हैसियत से विवादित भूमि पर भू-स्वामी और काबिज थे। उक्त भूमि पर से उनके नाम को गलत रूप से निरस्त कर दिया गया और विवादित भूमि से उन्हें बेदखल करने की धमकी दी जा रही है जिससे उनके स्वत्व एवं आधिपत्य प्रभावित होगा। विवादित भूमि पर उनका ही आधिपत्य है।

10. प्रतिवादी शासन के द्वारा तर्क में व्यक्त किया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की भूमि है जो कि भूमि माफी ओकाफ दर्ज होकर कलेक्टर उसका प्रबंधक है। वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में ट्रस्ट का भी निर्माण हो चुका है। ऐसी दशा में जबकि वादग्रस्त भूमि मंदिर की भूमि होकर शासकीय दर्ज है, उस पर वादीगण को किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है।

11. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनपत्र का निराकरण मुख्य रूप से पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र व प्रारंभिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। वादी/आवेदक की ओर से वादग्रस्त भूमि पर उसका अधिकार व आधिपत्य होने के संबंध में स्वयं का शपथपत्र पेश किया गया है, किन्तु मात्र शपथपत्र के आधार पर इस संबंध में कोई अवधारणा नहीं की जा सकती है। वादी के द्वारा प्रारंभिक दस्तावेज पेश भी किए गए हैं जिनमें मंदिर के ट्रस्ट गठित होने की प्रतिलिपि, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी तथा किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2010-11, 2011-12 की फोटोकॉपी पेश की है।

12. वादग्रस्त भूमि को वादी उसके जमींदारी काल से उसके पूर्वजों की भूमि होना तथा उसके पूर्वजों के द्वारा मंदिर की सेवा पूजा के लिए लिखाया जाना अभिकथित करते हुए उस पर अपना अधिकार एवं आधिपत्य निहित होना मुख्य रूप से अभिकथित किया है और इसी आधार पर उसके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही जा रही है। इस संबंध में कि वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजों की रही है इस आशय का कोई भी दस्तावेज वादी की ओर से पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी वादी की ओर से पेश है, उसके आधार पर वादी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि विवादित भूमि पर पुजारी की हैसियत से उसके पिता का नाम दर्ज है, किन्तु भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी में स्पष्ट रूप से विवादित भूमि माफी ओकाफाकी होना जो कि मंदिर रामजानकी के स्वामित्व की भूमि होकर प्रबंधक कलेक्टर होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इस संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2011-12 एवं किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2010-11 में भी वादग्रस्त भूमि मंदिर रामजानकी माफी ओकाफा प्रबंधक कलेक्टर के रूप में दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि माफी ओकाफा की होकर सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है जिसमें कि कलेक्टर प्रबंधक के रूप में है। वादी का पूर्वजों के समय से किसी प्रकार से कोई अधिकार या आधिपत्य वादग्रस्त भूमि पर रहा हो ऐसा कोई भी दस्तावेज उसकी ओर से पेश नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि वादी के पिता पुजारी के रूप में मंदिर सेवा करते थे तो भी मात्र इस आधार पद कि वह मंदिर की सेवा पूजा करते थे उन्हें वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का आधिपत्य या अधिकार प्राप्त होना नहीं माना जा सकता है।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि मंदिर रामजानकी स्थित ग्राम पाली डिरमन के संबंध में ट्रस्ट का भी निर्माण हुआ है और जिसमें कि वादग्रस्त सम्पत्तियाँ भी दर्शाई गई है। उक्त ट्रस्ट में वादी की किसी प्रकार से कोई सहभागिता हो अथवा उसके द्वारा ट्रस्ट का कोई निर्माण किया गया हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है।

14. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में उनके पूर्वजों का नाम अंकित होना और पूर्वजों के समय से उनके आधिपत्य में होने के बावत् कोई भी प्रारंभिक प्रमाण वादी पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है। मात्र भूमि अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में पुजारी के रूप में वादी के पिता का नाम दर्ज होने के आधार पर जबकि स्पष्ट रूप से वादग्रस्त सम्पत्ति मंदिर रामजानकी की होकर माफी ओकाफा की सरकारी भूमि है जो कि कलेक्टर के प्रबंधन में दर्ज है। उक्त भूमि पर वादी का अधिकार एवं आधिपत्य मानते हुए वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टिया प्रकरण होना प्रमाणित नहीं होता है। वादी को कोई असुविधा होने या अपूर्तिनीय क्षति होना भी मान्य नहीं किया जा सकता है।

15. उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई प्रारंभिक साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों पर उचित रूप से विचार करते हुए प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है एवं वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टिया प्रकरण प्रमाणित होना न पाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र निरस्त किया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक अथवा तथ्यात्मक भूल की जानी नहीं पाई जाती है, बल्कि प्रकरण में आई हुई प्रारंभिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उचित रूप से विचार करते हुए प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है।

16. तदनुसार विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2015 स्थिर रखा जाता है एवं अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

17. आदेश की एक प्रतिलिपि के सहित मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को बापस भेजा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज
गोहद जिला भिण्ड